



NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS

(Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)
Ansari Nagar, Ring Road, New Delhi-110029,
Telephone : 011-46054605; Fax: 45593009,

E-mail: mail@natboard.edu.in; Website : www.natboard.edu.in

NOTICE

FMGE SCREENING TEST-SEPTEMBER 2009

As per the Screening Test Regulations 2002, an Indian citizen possessing a primary medical qualification awarded by any medical institution outside India who is desirous of getting provisional or permanent registration with the Medical Council of India or State Medical Council on or after 15.03.2002 shall have to qualify a screening test.

The next session of the FMGE Exam shall be conducted by the National Board of Examinations on Sunday the 27th September, 2009 at New Delhi

The eligibility of the candidate shall be governed by the Screening Test Regulations, Eligibility Certificate Regulations, judgement of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 2779 of 2000 and other judgements of Hon'ble Supreme Court/High Courts in this regard.

For details of the scheme of examination, eligibility criteria, fee structure and application forms, candidates are advised to refer to the Information Bulletin cum Application Form downloaded (27.05.2009 onwards), from the website www.natboard.edu.in (bulletin fee of Rs. 500/- will have to be paid for downloaded forms alongwith the fee for examination) OR

Obtained on cash payment of Rs.500/- from selected branches of **Indian Bank** (27.05.2009 onwards), For list of branches of the bank, Kindly refer to detailed notice at website www.natboard.edu.in or contact telephone 011- 46054605

The last date of submission of duly completed Application Form is 26th June, 2009 (without late fee) and 15th July, 2009 (with late fee of Rs.1,500/-).

(Executive Director)

Candidates may kindly note that use of mobile phones/electronic devices in the Examination Centre premises of NBE is strictly prohibited.

14x2 col
width 8 cm



राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 फोन : 011-46054605
फैक्स : 45593009 ई-मेल : mail@natboard.edu.in
वेबसाइट: www.natboard.edu.in

सूचना

एफएमजीई स्क्रीनिंग टेस्ट-सितम्बर 2009

स्क्रीनिंग टेस्ट दिशानिर्देश 2002 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास भारत से बाहर किसी भी चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदान की गई प्राथमिक चिकित्सा योग्यता हो और जो 15.03.2002 को अथवा उसके बाद भारतीय चिकित्सा परिषद् अथवा कोई भी राज्य चिकित्सा परिषद् के साथ अस्थाई या स्थाई पंजीकरण करने का इच्छुक हो, को स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा एफएमजी परीक्षा का अगला सत्र रविवार, 27 सितम्बर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

उम्मीदवार की पात्रता के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 2000 का 2779 में दिये गये निर्णय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों द्वारा इस विषय में दिये गये निर्णयों के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट दिशानिर्देश एवं योग्यता प्रमाणपत्र दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

परीक्षा की योजना, योग्यता मापदण्ड, शुल्क एवं आवेदन प्रपत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सूचना विवरणिका-सह-आवेदन पत्र देखें जो 27.05.2009 से वेबसाइट www.natboard.edu.in से डाउनलोड किया जा सकता है। (डाउनलोड किये गये प्रपत्रों के साथ परीक्षा शुल्क के अलावा रु. 500/- बुलेटिन शुल्क का भी भुगतान करना होगा।) या

रु. 500/- नगद भुगतान करके **इंडियन बैंक** की चुनिंदा शाखाओं से 27.05.2009 से प्राप्त किया जा सकता है। बैंकों की शाखाओं के विवरण के लिए वेबसाइट www.natboard.edu.in में विस्तृत सूचना को देखें या फोन नं. 011-46054605 पर सम्पर्क करें।

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून, 2009 (बिना विलम्ब शुल्क) है और 15 जुलाई, 2009 (रु. 1,500/- विलम्ब शुल्क सहित) है।

कार्यपालक निदेशक

आवेदक कृपया ध्यान दें कि एनबीई परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन/इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रयोग करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।

14x2 col
width 8 cm